पत्रांक /आयु0 क0 उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2011–12/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः: देहरादून: /फरवरी, 2012

प्रार्थना पत्र सं0 – 8575/12.12.2011

सर्वश्री ए–I हनी फार्मस,

163, शेखपुरी, रूड़की।

उपस्थिति– जे0पी0सक्सेना, प्रोपराइटर फर्म अपने अधिवक्ता श्री एस0पी0बाटला के साथ।

निर्णय का दिनांक– जनवरी, 2012,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

1– सर्वश्री ए–I हनी फार्मस,163, शेखपुरी, रूड़की एक पंजीकृत फर्म है। जिसका टिन–05009461696 है। व्यापारी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुए यह तथ्य रखा गया है कि फर्म द्वारा Honey, Bee colonies, Compressed wax sheets, Bee vail, Queen Excluder, Grafting needles and other equipments, Packing material, honey syrup and sugar syrup, fructose syrup and powder, liquid syrup and corn syrup and other items. की खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है। उनके द्वारा अभी तक honey syrup, sugar syrup, fructose syrup and powder, liquid syrup की खरीद बिक्री का व्यसवाय शुरू नहीं किया गया है। अब वे, उन वस्तुओं की खरीद बिक्री का व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उनको इन वस्तुओं की खरीद बिक्री पर, कर की दरों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। उनके द्वारा पुनः बताया गया है कि उनके केताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि इन वस्तुओं पर कोई करदेयता नहीं है क्योंकि यह वस्तुऐं मधुमक्खियों का फीड होने के कारण करमुक्त हैं और करदेयता के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 के अन्तर्गत दी गयी अनुसूची–1 के कमांक–4 पर वर्णित वस्तुओं के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

उपरोक्तानुसार उनके द्वारा यह जानकारी चाही गयी हैं कि उपरोक्त वस्तुओं की ट्रेडिंग किये जाने पर क्या उपरोक्त वस्तुऐं अनुसूची–1 के अन्तर्गत आने के कारण करमुक्त रहेंगी अथवा दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत आयेंगी।

धारा 57

9103
02/2/12

2— ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) हरिद्वार संभाग हरिद्वार के पत्र संख्या 2885/ज्वा0कमि0 (कार्य0)हरि0/विधि—अनु0/दे0दून/दिनांक 03.01.2012 द्वारा विभागीय मत प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि मधुमक्खी एक कीडा है। व्यापारी द्वारा धारा—57 के अन्तर्गत दाखिल प्रार्थना पत्र में मधुमक्खी के भोजन हेतु honey syrup, sugar syrup, fructose syrup and powder, liquid syrup की खरीद बिक्री का व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना बताया गया है। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम—2005 के अन्तर्गत दी गयी अनुसूची—1 के क्रमांक—4 पर वर्णित उक्त वस्तुओं की प्रविष्टि नही दी गई है। इस कारण व्यापारी द्वारा बिक्री की जाने वाली उपरोक्त वस्तुऐं अनुसूची—1 के क्रमांक—4 एवं इसी अनुसूची में कहीं पर भी नहीं है। अतः ये वस्तुऐं कर मुक्त की श्रेणी में नहीं आती हैं।

3— व्यापारी की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु जे0पी0सक्सेना, प्रोपराइटर फर्म अपने अधिवक्ता श्री एस0पी0बाटला के साथ उपस्थित हुए। उनके द्वारा तीन पृष्ठों का एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि honey syrup, sugar syrup, fructose syrup and powder, liquid syrup मधुमक्खियों की फीड(भोजन) है। जो पोल्ट्री फीड के अन्तर्गत कवर्ड होने के कारण वैट अधिनियम की अनुसूची—I के क्रमांक—4 से आच्छादित होने के कारण करमुक्त है। पुनः उनके द्वारा उपरोक्त वस्तुओं पर करदेयता के सन्दर्भ में जानकारी देने का अनुरोध किया गया है।

मेरे द्वारा दोनो पक्षों के मतों का अवलोकन किया गया। व्यापारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में Wikipedia Dictionary के अनुसार Bees(मधुमक्खी) एवं Poultry की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मधुमक्खी एक कीडा है जो चींटी एवं ततैया से सम्बन्धित है, और जिससे शहद एवं मोम प्राप्त होता है। Poultry मनुष्यों द्वारा रखी जाने वाली घरेलु पक्षी है जिससे अण्डे, मांस एवं पंख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मधुमक्खी एवं Poultry दोनों को ही पक्षी की श्रेणी में होना बताया गया है और पौल्ट्री फीड्स को उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम—2005 के अन्तर्गत करमुक्त होने के कारण मधुमक्खी की फीड(भोजन) को भी पौल्ट्री फीड के अन्तर्गत मानते हुए करमुक्त होना बताया गया है। पुनः उनके द्वारा sugar syrup, fructose syrup की परिभाषा तथा उनके preparation (उत्पादन) की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए honey syrup, sugar syrup, fructose syrup को मधुमक्खियों का भोजन बताया गया है और मधुमक्खी के भोजन को

पोल्ट्री फीड बताते हुए करमुक्त होना बताया गया है। जबकि ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) हरिद्वार संभाग हरिद्वार द्वारा मधुमक्खियों को एक कीडा बताया गया है जैसा कि व्यापारी द्वारा दी गयी परिभाषा से भी स्पष्ट है कि मधुमक्खी एक कीडा है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में मधुमक्खी एवं पौल्ट्री की दी गई परिभाषा से कत्तई स्पष्ट नहीं है कि मधुमक्खी एक पौल्ट्री की श्रेणी का पक्षी है। सामान्य बोल-चाल की भाषा में भी मधुमक्खी को पौल्ट्री नहीं कहा जाता है। अतः मधुमक्खियों के फीड के रूप में honey syrup, sugar syrup, fructose syrup and powder, liquid syrup को मधुमक्खियों का भोजन होने के कारण Poultry feed नहीं कहा जा सकता और न ही उन्हें उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 के अन्तर्गत दी गयी अनुसूची–I के क्रमांक–4 के अन्तर्गत रखा जा सकता है। चूंकि उपरोक्त वर्णित वस्तुऐं अनुसूची–I की किसी भी प्रविष्टी से आच्छादित नहीं है। अतः वे करमुक्त वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आयेंगी।

उपरोक्त वर्णित वस्तुऐं मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 के अन्तर्गत कर की दरों के सम्बन्ध में दी गई दी गयी धारा–4 की उपधारा(2) के क्लॉज(ख) के सब क्लॉज (i)),(अ)(आ) एवं (इ) के अन्तर्गत न आने के कारण उन वस्तुओं पर अवर्गीकृत वस्तुओं के भांति बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 13.5(12.5+1) प्रतिशत की दर करदेयता होगी।

आदेश की एक प्रति व्यापारी को तथा एक प्रति कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाय।

(डा0हेमलता ढौंडियाल)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 7589 / दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1. अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन,
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के

अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।

7 .ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।

8. डिप्टी कमि0(क0नि0)–1 वाणिज्य कर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9 बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें

10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।

11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।

12 नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।

13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।

15 कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।

16 विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।